श्री उपसभापति : आपकी बहस जारी रहेगी । अब आधे घंटे की बहस आरम्भ होगी ।

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

ON POINTS ARISING OUT OF THE ANSWER TO UNSTARRED QUESTION NO. 601 GIVEN ON 11TH OCTOBER, 1982 REGARDING SETTING UP OF A BENCH OF ALLAHABAD HIGH COURT IN WESTERN U.P.

श्री शांति त्यागी (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभापति महोदय, यह अच्छा ही हुआ कि आपने भाषा के कठिन प्रश्न से सदन को यह मौका दिया कि जनता की भलाई के ज्वलंत प्रश्नों पर हम लोग विचार करें ।

श्रीमन्, मैंने 12 जुलाई को अनस्टार्ड क्वेश्चन के जरिये माननीय न्याय मंत्री जी से यह पूछा था कि "क्या सरकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच स्थापित करने के सवाल पर बैठाये गये जसवन्त सिंह आयोग का कार्यकाल बढ़ाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?"

श्रीमन्, माननीय न्याय मंत्री जी का उत्तर इस प्रकार का था ;

"जसवंत सिंह आयोग का गठन 4 सितम्बर, 1981 को किया गया था और उसे 6 मास के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी थी । आयोग ने नवम्बर 1981 से प्रभावी ढंग से कार्य करना आरम्भ कर दिया है । उसने फरवरी, 1983 तक समय बढ़ाये जाने की मांग की है क्योंकि उसे जो कार्य सौंपा गया है उसमें बहुत काम किया जाना है । यह तय किया गया है कि इसकी अवधि को 6 महीने के लिए अर्थात् 3 सितम्बर 1982 तक बढ़ा दिया जाए जिससे कि वह अपना कार्य पूरा कर सके ।"

मान्यवर, दूसरी बार मैंने 11 अक्तूबर को इसी सम्बन्ध में एक प्रश्न और किया था । उसमें मंत्री जी ने यह कहा, मै कोट कर रहा हूं –

'जसवंत सिंह आयोग ने अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नही की है । उसका कार्यकाल 6 मास और बढ़ाकर 3 मार्च 1982 तक के लिए कर दिया गया है ।' यह मंत्री जी का उत्तर है ।

श्रीमन्, सरकार ने जसवंत सिंह आयोग को दो दफे ऐक्सटेंशन दिया, 6 महीने का एक दफे और 6 महीने का अभी हाल में भी और मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा था कि बड़े गूढ़ प्रश्न हैं जिनके ऊपर उनको इंवेस्टिगेशन करना है, जांच करनी है । लेकिन मेरे प्रश्न के जवाब में उन्होंने यह नहीं बताया कि वे कौन से ऐसे मूल प्रश्न हैं, कौन सी बारीकियां, पेचीदगियां कानून की हैं जिनके बारे में आयोग को इतना लम्बा समय दिया गया है, उसके कार्यकाल में इजाफा किया गया है । इस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं मिला है । इसलिए यह आधे घंटे की चर्चा का विषय बना है ।

मान्यवर, साइंटिफिक इंवेस्टीगेशन का काम तो उनके सुपुर्द किया नहीं गया है, लेबोरेटरी में जायेंगे या यंत्र मंगाये जायेंगे, ऐसी कोई चीज नहीं थी । बहुत स्पेसिफाइड प्रश्न था । श्रीमन्, उत्तर प्रदेश की सरकार ने 14 मार्च को एक प्रस्ताव पास करके मंत्रि परिषद ने केन्द्रीय सरकार को भेजा था । प्रस्ताव बिलकुल आइने की तरह साफ था । उत्तर प्रदेश सरकार ने यह कहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 6 डिवीजनों में हमारा यह विचार है, हम चाहते हैं और सरकार का यह विचार है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक खंडपीठ, बेंच पश्चिम

[श्री शांति त्यागी]

में बनाई जाए, 6 डिवीजनों के लिए स्थापित कर दी जाए और इस प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि जिस जगह वह स्थापित हो, इसका सेलेक्शन, चयन हम नहीं करेंगे बल्कि केन्द्र सरकार खुद करे और यह भी तय किया था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने, हाई कोर्ट जहां भी बने, उसकी इमारत के लिए, उसकी साज सज्जा और सामान का खर्च हम वहन करेंगे, यह भी कहा था। उसके बाद ही उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को दिया था।

श्रीमन्, यहां केन्द्रीय सरकार के सामने जब यह प्रश्न आया तो खाली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में कहना चाहिये, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्व का सवाल नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश की जन भावना है कि खंड पीठ की पश्चिम में स्थापना होनी चाहिये ताकि इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऊपर लिटिगेशन का मुकदमों का जो भार है वह कम हो सके, मुकदमों का जल्दी फैसला हो, और लोगों को जल्दी न्याय मिले। चुनाचे हमारे तत्कालीन न्याय मंत्री ने लोकसभा में यह एलान किया था और घोषणा की कि सरकार को उत्तर प्रदेश की मंत्रि-परिषद का प्रस्ताव मिल चुका है और बहुत से और लोगों की भी मांग है इसलिये इलाहाबाद हाई कोर्ट की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खंडपीठ, न्यायपीठ बैठाने पर सरकार विचार कर रही है या विचार करेगी। यह लोकसभा में माननीय तत्कालीन मंत्री ने कहा था। यह बात समझ में आती थी कि जब सरकार ने घोषणा की तो सरकार अपना निर्णय देती लेकिन केन्द्रीय सरकार ने निर्णय लेने के बजाय, खुद निर्णय न लेने के बजाय कमीशन बैठाने का निर्णय ले लिया और इसीलिये इसकी घोषणा कर दी कि जसवन्त सिंह आयोग मुकर्रर करते हैं और यह सन् 81, सितम्बर में किया गया। इससे बहुत निराशा हुई, यह मुझे स्पष्ट कहना चाहिये। हमारे प्रदेश की, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को, किसानों को भी, मजदूरों को भी शहरियों को भी इससे बड़ी निराशा हुई। वे इस बात की तवक्को करते थे कि कांग्रेस की मौजूदा सरकार से, माननीय इन्दिरा गांधी की सरकार से कि 20 सूत्री कार्यक्रम में एक सूत्र बड़ा इम्पोर्टेंट है, माननीय मंत्री जी नोट कर लें, उसमें यह लिखा है। और यह किया भी जाना चाहिये कि साधारण जनता को पूरे भारत में उत्तर प्रदेश में ही नहीं, सस्ता सुलभ न्याय मिले। मैं समझता हूं माननीय इन्दिरा गांधी ने जो 20 सूत्री कार्यक्रम में जो एक सूत्र रखा उनकी धारणा यही है कि यह न्याय गरीब लोगों को चाहे वह किसान हो, चाहे फैक्टरी का मजदूर हो, शिक्षक हो, विद्यार्थी हो उनको अपने दरवाजे पर मिले। दरवाजे का मतलब यह नहीं है कि गांवों में उनके घरों पर न्याय करने के लिए लोग जायें बल्कि हजारों मील दूर लोगों को न जाना पड़े। माननीय उपसभापति जी, एक वादकार लिटिगेंट को अपील के लिये, जजमेंट के लिये, एक खेत मजदूर को उत्तरकाशी से सवा 9 किलोमीटर चलकर इलाहाबाद पहुंचना पड़ता है मुज्जफर-नगर, सहारनपुर या देहरादून से सवा सात सौ किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। अगर किसी हरिजन की जमीन की एलाटमेंट है और शक्तिशाली जमींदार ने उसकी जमीन छीन ली है जो जमीन वापस लेने के लिये रिट फाइल करने के लिये हाई कोर्ट में साढ़े सात सौ किलोमीटर चलकर मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से वह बेचारा रात-दिन सफर करके न्याय के लिये रिट दायर करेगा। इसलिये यह प्रश्न उपस्थित हो गया है।

इस कमीशन को टर्म भी बार-बार एक्सटेंड की जा चुकी है । 18 महीने हो गये कुल मिला कर । किसी ने बताया कि इस पर एक लाख रुपया महीना खर्च हो रहा है । 18 महीने में 18 लाख रुपये खर्च हो जायेंगे । केन्द्र सरकार यह निर्णय ले लेती तो 18 लाख रुपये से हाई कोर्ट की इमारत, न्यायाधीशों के लिये रिहायशी मकान और स्टाफ के लिये भी रिहायशी मकान और लाइब्रेरी भी बनकर तैयार हो जाती । लेकिन जसवंत सिंह आयोग को बराबर कफी रियायत दी जा रही है उसको पैसा देकर । इसमें तीन न्यायाधीश हैं । पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 18 जिलों का दौरा कर चुके हैं । आप को ताज्जुब होगा और हंसी भी आयेगी सुनकर कि वह मसूरी भी हो आये हैं, हरिद्वार भी हो आये हैं, बनारस भी हो आये हैं, समझ नहीं आता कि यह तीर्थ यात्रा हो रही है या हाई कोर्ट बैंच की स्थापना के लिये कोई जायज और उचित इंक्वायरी की जा रही है, यह बात समझ नहीं आती । यह भी सुना जा रहा है कि उनका अगला प्रोग्राम गोवा जाने का है, औरंगाबाद जाने का है, नागपुर जाने का है और उसके बाद रांची और ताज्जुब नहीं कि आहिस्ता, आहिस्ता अंडेमान भी पहुंच जाये । तो यह तो इंक्वायरी नहीं हो रही है। यह भारत दर्शन हो रहा है और पूरे देश का भ्रमण किया जा रहा है । यह लाखों रुपया जिस काम में आना चाहिये उस काम में नहीं आ रहा है । मैं यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि यह बहुत साधारण प्रश्न था । वहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों-मजदूरों की यह मांग रही है। हाई कोर्ट में अपील के लिये और रिट के लिये, चाहे वह सिविल केसेज हों या क्रिमिनल केसेज हों आम आदमियों को इलाहाबाद जाना पड़ता है या अब यह बड़े आदमियों का भी मामला नहीं रह गया है। साधारण आदमी को हाई कोर्ट में जाना पड़ता है । आज उत्तर प्रदेश की आबादी भी 10 करोड़ से ज्यादा हो गई है । जिस समय इलाहाबाद में हाई कोर्ट स्थापित किया गया था उस वक्त उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी थी, यह तो किताबों से भी मालूम हो सकता है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश की आबादी बहुत बढ़ गयी है। 28 नवम्बर, 1976 का एक सर्वे किया गया था और यह सर्वे किसी प्राइवेट आदमी ने नहीं किया था बल्कि सरकारी सर्वे किसी इंस्टीट्यूट की तरफ से हुआ था जिसमें यह कहा गया है कि एक लाख 37 हजार और कुछ सौ केसेज ऐसे हैं जो विचाराधीन पड़े हुये है जिनके बारे में कुछ मालूम नहीं है कि कितने महीने या साल उनके फैसले होने में लगेंगे । ऐसी हालत में समझ में नहीं आता कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बैंच स्थापित करने में दिक्कत क्या आ रही है ? हमारे देश के जो अन्य प्रदेश हैं, जसे महाराष्ट्र में औरंगाबाद और नागपुर में बच हैं, आसाम में अगरतला, कोहिमा और इम्फाल में बैंच हैं। मध्य प्रदेश में ग्वालियर और इंदौर में बैंच हैं । बिहार में रांची में बैंच हैं । राजस्थान में जयपुर में बच है। इसलिये उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में हाई कोर्ट की एक बैंच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये ।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बार एसोशिएसन ने तीन महीनों तक मुकम्मल हड़ताल रखी । यह सन् 1981 की बात है। आजकल हर सटरडे को हर कोर्ट बन्द रहती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की यह मांग है कि

[श्री शांति त्यागी]

फौरन वहां पर बैंच स्थापित की जाए। इस मांग को प्रदेश की जनता का भी समर्थन प्राप्त है। इस स्ट्राइक के पीछे हमारे अधिवक्ता और किसान सभी है। वहां पर किसानों ने प्रदर्शन किया है, विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया है और मेमोरेन्डम दिये और इसकी सोलिडेरिटी में समर्थन दिया है। कुछ मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं जो करोड़पति बन गये हैं वे ही इसका विरोध कर रहे हैं। इलाहाबाद में कुछ मुट्ठी भर लोग, 10–12 आदमी हैं जो 50–60 साल से वहां पर काम उनके बेटे और पोते जज बने हुये हैं, वकील बने हुये है और करोड़ों रुपया ऐंठ रहे हैं। वे नही चाहते कि दूसरी जगह पर बैंच खुले। हम कहते है कि आप मेरठ या रामपुर कहीं पर भी बैंच स्थापित कर दीजिये। कुछ मुठ्ठी भर लोग इसका विरोध करते हैं और कहते हैं कि इससे न्याय की गरिमा नष्ट हो जायेगी। यह उनकी थोथी दलील है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो कमीशन काम कर रहा है, यह जो जसवन्त सिंह कमीशन है, इसको आप छुट्टी दे दीजिये और मेहरबानी करके माननीया प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 20-सूत्री कार्यक्रम में जो यह लक्ष्य दिया है कि देश का विकास करना, गरीब जनता को न्याय दिलाना, इसको आप पूरा कीजिये। गरीब आदमी को दो हजार मील न्याय प्राप्त करने के लिये जाना पड़े, यह अच्छा नहीं है। गरीब आदमी को न्याय आस-पास में दिलाया जाना चाहिये। इन अल्फाज के साथ मैं चाहता हूं कि हमारे सभी माननीय सदस्य इसका समर्थन करें और न्याय मंत्री जी और हमारी सरकार इस मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे।

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : मान्यवर, जो सवाल माननीय सदस्य ने उठाया है वह यह है कि यह सवाल सीधा था और हमको इस पर कमीशन नहीं बिठाना चाहिये था। इसके मुतल्लिक मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर सचमुच इतना सीधा सवाल होता तो हम कमीशन नहीं बिठाते। लेकिन दो-तीन बातें हैं, जो मैं माननीय सदस्य की नोटिस में लाना चाहता हूं।

ला-कमीशन की शुरू से एक राय रही है कि वह बैंचेज बनाने के हक में नहीं है। माननीय सदस्य ने खुद मान लिया है कि शायद वह एक ही रीजन देते हैं और वह रीजन यह है अगर हाई कोर्ट की सीट के अलावा कहीं और जगह बैंच बनाते है तो इंसाफ की, न्याय की गरिमा इतनी नही रहती। ला-कमीशन ने यह बात कही है और इसको ही चीफ जस्टिस की कांफ्रेंस ने भी कहा है, चीफ जस्टिस आफ इंडिया भी इसी व्यू के हैं और जो लोकल चीफ जस्टिस हैं वे भी इसी व्यू के हैं। लेकिन उनकी राय के बावजूद, क्योंकि यू० पी० गवर्नमेंट ने यह मांग की है कि बैंच बनना चाहिये तो भारत सरकार ने बजाय उन सबकी राय को रद्द करके यह मुनासिब समझा कि इस मामले की जांच कर ली जाय और अगर इसमें लोगों का फायदा है, अगर लोगों को इंसाफ मिलने में सहूलियत होती है, अगर इंसाफ ठीक मिलता है तो सरकार को यह बात मान लेनी चाहिये। तो यह सब बातें सोचने के बाद कमीशन बना था। बाकी मैं अपने तजुर्बे से एक-दो बात आपको बताना चाहता हूं। बिहार में भी एक रांची बैंच बना था। मैं भी बिहार में था। मैं रांची बैंच देखने गया। जो दिक्कत आम लोग बताया करते हैं वह दिक्कत भी मैंने वहां महसूस की। मैं मेंबर्स से मिला और बार के मेंबर्स से

मैंने कहा कि बार की लाइब्रेरी मुझे दिखलाइये। उन्होंने कहा राज्यपाल महोदय, लाइब्रेरी तो हमारे पास नहीं है। मैंने कहा, हाई कोर्ट बार की लाइब्रेरी नहीं है तो आपको तो तकलीफ होती होगी। क्या आप के घर में अच्छी लाइब्रेरी है। उन्होंने कहा हम तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वकील हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इतनी लाइब्रेरी की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिये हमारे घरों में भी लाइब्रेरी नहीं है। तो मैंने उनको अपने तजुर्बे से एक बात कही कि हाई कोर्ट में बिना लाइब्रेरी के काफी तकलीफ होगी और आपको मामला जिस स्टैंडर्ड से हाई कोर्ट में पेश करना पड़ता है वह आप नहीं कर पायेंगे। उन्होंने कहा फिर लाइब्रेरी सरकार मुहैया कर दे क्योंकि हमारे पास इतने साधन नहीं हैं कि हम लाइब्रेरी रेंज कर सकें। सवाल यह है कि जहां नई जगह डिस्ट्रिक्ट लायर जाते हैं और हाई कोर्ट की बेंच बनती है, शुरु में यह सवाल सब जगह पैदा होता है। ठीक है, वहां मैंने कोशिश की और वहां उनको सरकार से कुछ मदद दिलाई, मेरा कहना सरकार ने मान लिया और 50 हजार रुपया बार को सरकार ने दे दिया, तो यह सवाल है।

दूसरा सवाल यह था कि जज साहेबान भी मेन सीट आफ हाई कोर्ट छोड़कर जो बेंच की सीट्स हैं वहां जाना बहुत कम पसन्द करते क्योंकि उनकी वहां इतनी सुविधा नहीं मिलती जितनी सुविधा सीट आफ जस्टिस में है। माननीय सदस्य ने यह सवाल किया है कि ये लोग गोवा, नागपुर, रांची की यात्रा पर क्यों जा रहे हैं। कमीशन ने इसलिये वहां जाना शुरू किया कि जहां जहां बैंचेज फंक्शन कर रही हैं, वहां जाकर बैंचेज की स्थिति देखी जाये कि जहां-जहां बैंचेज बने हुये भी हैं, आया उससे लोग संतुष्ट हैं, आया जिस किस्म का इंसाफ लोगों को मिलना चाहिये उनको उस तरह का इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता है। तो उनकी मंशा भारत दर्शन करने की नहीं है। माननीय सदस्य ने कहा है कि वे भारत दर्शन के लिये जा रहे हैं तो वे भारत दर्शन के लिये नहीं जा रहे हैं, वह यह पता लगाने के लिये जा रहे हैं कि जहां-जहां बैंचेज आलरेडी मौजूद हैं, वहां बैंचेज की स्थिति क्या है।

बाकी दूसरी बात मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि अभी गवर्नमेंट ने फैसला किया था और गोवा में हमने बेंच बनाई है। गोवा की बेंच की स्थापना होने जा रही है। चीफ जास्टिस साहब जा रहे हैं और मैं भी जाऊंगा। गोवा की इतनी जबरदस्त मांग थी बेंच बनाने की और हमको यह फैसला किये हुए भी कई महीने हो गये लेकिन पहले वहां की सरकार कह देती है कि हमारे पास सब साधन है जब सचमुच बेंच बनाने का फैसला किया गया तो न सरकार के पास काम की बिल्डिंग निकली न सरकार के पास जजेज को ठहराने के लिये काम की जगह निकली तो फिर हमको वह काम और डिले करना पड़ा और गोवा सरकार की मिन्नत-गुजारी कर के अब बेंच स्थापित होने जा रहा है। तो यह दिक्कत भी होती है। हर सरकार कहती है कि हम सब साधन दे देंगे लेकिन साधन देने में काफी तकलीफ होती है। कहने और करने में बहुत फर्क है। इसी तरह से दूसरा बेंच है औरंगाबाद में। हालांकि औरंगाबाद में टैम्पोरेरी बेंच फंक्शन कर रहा था लेकिन वहां पर परमानेंट बेंच दिया है और परमानेंट बेंच और टेम्परेरी बेंच में फर्क है। टेम्पोरेरी बेंच की तादाद दो भी हो सकती है, तीन की भी हो सकती है, परमानेंट बेंच की तादाद पांच की होगी, सात की होगी। इस बेंच के लिये

[श्री जगन्नाथ कौशल]

लगातार लोग कह रहे थे कि हमारे पास सब साधन मौजूद है लेकिन जब हम ने अपने डिप्टी सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी को भेजा तो उन्होंने वहां जा कर देखा कि सब चीज जो वह कह रहे हैं वह नहीं है वहां पर जजेज जाने के लिये तैयार नहीं है वहां पर वे साधन नहीं है। तो मैं माननीय सदस्य को यह यकीन दिलाना चाहता हूं कि जसवंत सिंह कमीशन जान बूझ कर के देरी नहीं कर रहा है। जसवंत सिंह कमीशन ने कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के लोगों को मिल भी लिया है और ज्यादा नहीं तो हजार आदमी उनके सामने पेश हुए हैं। हर आदमी अपनी-अपनी बात कहता है। कमीशन तो बात सुनने के बाद फैसला करेगा। तभी कोई फैसला करेंगे। कमीशन के फैसला करने में फर्क होता है जब हम भी चाहते है कि यह मांग सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं है यह बहुत से प्रान्तों की मांग है। हम को भी बैंचेज मिलने चाहिये। तो यह कमीशन जो बैठा है उससे कह सकते है। हमको बाकी जो भी निर्णय लेना होगा उसमें भी आसानी होगी। बाकी जहां तक माननीय सदस्य ने यह बात कही है कि एक लाख रूपये महीने का खर्च है वह तो मैं नहीं मानता लेकिन 55 हजार रुपये महीने का खर्च तो है। वह खर्च हम को करना पड़ता है क्योंकि उस खर्च का कोई इलाज नहीं है। तीन उसके मैम्बर है, उसका स्टाफ भी होता है उनको अपनी कार्यवाही भी करनी है तो म समझता हूं...

श्री सत्यपाल मलिक : (उत्तर प्रदेश) : इस रूपये में तो लाइब्रेरी बन जाती।

श्री जगन्नाथ कौशल : लेकिन फैसला करने में हमारी कठिनाई जो है वह आप सब लोग समझते है। लेकिन जब मांग खड़ी होती है तो लोग समझते है कि फौरन मान लेना चाहिये जैसे मैंने कहा कि यह मांग एक जगह नहीं है। कोशिश हमारी यह है कि जहां सहूलियत के साथ यह बात हो सके वहां कर देनी चाहिये और मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि जसवंत सिंह कमीशन द्वारा जानबूझ कर लम्बा नहीं किया जा रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी रिपोर्ट इस अर्से में आ जायेगी। उन्होंने एक साल के एक्सटेशन के लिये लिखा है लेकिन हमने उनको 6 महीने का एक्सटेंशन दी है ताकि वे कार्यवाही पूरी कर सकें। अब हम आशा करते है कि वह अपनी कार्यवाही पूरी कर के रिपोर्ट पेश कर देंगे और उस रिपोर्ट को कन-सीडर करने के बाद जो सही निर्णय होगा जो लोगों के फायदे में होगा क्योंकि मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यह बात ठीक है कि लोगों को इन्साफ मिलना चाहिये, कम से कम समय में और सस्ता मिलना चाहिये लेकिन साथ यह भी है कि तर्जबा भी कहता है कि सस्ता और सही इन्साफ मिलने में जब लोग देखते है कि यहां तो असली बात नहीं रही तो लोग समझते है कि अदालतें बैठाने से क्या फायदा। इसलिये हम को ठीक न्याय भी देना है। इसलिये सारी बातें सोच कर के फैसला किया जायेगा। मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि कमीशन की मंशा लम्बा करने की नहीं है तो यह रिपोर्ट आ जायेगी उसके आधार पर फैसला किया जायेगा।

श्री शिव चन्द्र झा : (बिहार) : उपसभा-पति महोदय, यह जो मांग है वस्टर्न यू० पी० में एक अलग बैंच बैठाया जाए यह बिलकुल जायज है। वहां ही नहीं बल्कि और इंटीरियर में बेंच बैठे इसके लिये कमीशन बहाल करने की कोई

जरूरत नहीं है। जसवंत सिंह कमीशन आपने बहाल किया है यह पैसे का दुरूपयोग है। वहां मकान है कि नहीं, बेंच है कि नहीं, जमीन है या नहीं, इसकी जांच यदि करनी थी तो बात ठीक है।

लेकिन जैसा आपने भी कहा कि न्याय सस्ता हो, एक्सेसीबुल हो, जनता के पास पहुंचे यह दर्शन यदि हम कबूल करते है तो वैस्टर्न यू० पी० में ही नहीं बल्कि हर जगह मोबाइल कोर्ट भी बनाये...

श्री उपसभापति : वह सवाल नहीं है।

श्री शिव चन्द्र झा : इसी से संबधित है। अभी उन्होंने बताया कि मोबाइल कोर्ट भी बने तो क्या इसके मुत्तालिक कार्यक्रम है ?

दूसरी बात आपकी सेपरेट बेंचे बनती है, लेकिन आपकी पंचायतों भी तो है उसका भी एक कांस्टीटयुशनल रूप है, एडमिनिस्ट्रेटिव रूप है तो यदि उसको जुडीशियल पावर दे दें तो और भी न्याय नजदीक पहुंचेगा, गांव में जनता के पास पहुंचेगा।

तीसरा मेरा सवाल है अभी जिस रूप में है, चाहे यू० पी० का कोर्ट हो या जहां का हो, यह बात निर्विवाद है तो बहुत लम्बे अर्से से केसेज पड़े हुए है। आज भी अखबार में मैंने देखा कि बिहार में 30 साल से आदमी जेल में है। तो ऐसे केसेज है जो बीस साल, तीस-तीस साल से पड़े है प्रातः उनको एक्सपेडाइट करने के लिए क्या आपके पास कोई कार्यक्रम हैं।

आखिरी सवाल, जनतंत्र में आप विश्वास करते है, जनतंत्र के लिये ही यह सदन है, हमारा जनतंत्र कमिटेड है। जनतंत्र का दर्शन कहता है कि जितना ज्यादा डेमोक्रेटिक कर सके उतना अच्छा है। कहने का मतलब है जुडीशियरी, जजेज इलेक्टेड हों। यह बात मैंने पहले भी उठाई थी कि जजेज इलक्टेड हों। इसके लिये संविधान में संशोधन करने की जरूरत हो तो भी करे। दुनिया में इलेक्टेड जजेज है। मैंने पहले भी कहा था। तो यह व्यवस्था चलायेंगे कि नहीं।

श्री उपसभापति : श्री धाबे कृपया इसी के बारे में रखे व्यापक मत बनाये।

SHRI SHRIDHAR WASUDEO DHABE (Maharashtra): Mr. Deputy Chairman, the Jaswant Commission was appointed because there were a number of demands from U.P. and at different places to allocate benches. Sir, I am surprised to hear the reply of the hon. Minister: He does not believe, it seems, to give cheap justice to people and justice at their doors. Why should not there be benches? The quality of the judgment is much higher at the seat of a High Court is not borne out by facts. On the other hand today the position is that for the last many years many matters are considered by the Supreme Court, High Court like labour legislations, rent Control etc. which are settled by judicial decision. There are few matters where judgment requires a larger bench. In fact, I am coming from Nagpur where bench is located, and it has a good building and library and everything. Many matters are decided already by the High Court or the Supreme Court so there is no difficulty in functioning of a Bench. Whenever a question comes, a largetr bench is formed. the Chief Justice comes there and justice is given to the people from Vidarbha area. This has been followed in Aurangabad. What is the Goa torritory? In Goa territory, even a District Judge's court is sufficient. We have accepted to have a bench in Goa. Maharashtra is very small as compared to U.P. Now, I would like the hon. Minister to clarify whether, as the news is, the Chief Justice has consented. Probably you have consented to have a bench at Poona, 100 miles from

[Shri Shridhar Wasudeo Dhabe]

Bombay. The demand is also from Kolhapur. Sir, unless there is lecentralisation, you can never give justice to the poor people. (*Time rings*). The Supreme Court is the constlier court of law in the world. Why should not there be decentralisation of Judiciary. In fact there should be Supreme Court Benches at places like Banglore in South and Nagpur in Central India. Therefore, when you are having five Benches in Maharashtra, why aren't you allowing a State U.P. to have benches? Therefore, the policy of judicial administration requires changes. The Law Commissions word is not the last word on the subject. That has become out of date. People are now craving for justice. And in those circumstances, you require not only one Bench at Meerut but in other places also. Sir, may I know why the hon. Minister is making a distinction between UP and other States for granting Benches of the High Courts?

श्री सत्यपाल मलिक : मान्यवर, माननीय मंत्री जी की जो दलील थी, वह बहुत लचर दलील थी। अगर सिर्फ यह मान लिया जाए कि हमें जमीन और मकान और लाएबिल्टी की वजह से बढ़िया किस्म का न्याय नहीं मिलेगा, तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ यह कह सकता हूं कि मैं भाई शांति त्यागी यह जिम्मेदारी लेने के लिये तैयार है कि सरकार अगर दिवालिया हो गई हो, तो मेरठ के बेंच की स्थापना के लिये जो खर्च आएगा, हम जनता से इकटठा करके देंगे और यह मुजफरनगर के लोगों ने कहा कि जमीन और बिल्डिंग हम देने के लिये तैयार हैं। अलग अलग जिलों में लोग तैयार थे खर्चा देने के लिये। यह बिल्कुल लचर दलील है।

आप पन्द्रह सौ करोड़ का एशियाड के लिए खर्चा कर सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट की बेंच नहीं खोल सकते हैं। आपकी इस बात को समझने वाला कोई नहीं है।

जजों के लिये मेरठ कोई ऐसा खराब शहर नहीं है, आगरा खराब शहर नहीं है, देहरादून खराब शहर नहीं है, दिल्ली के नजदीक है, बेहतरीन जिंदगी भी मिलेगी यह कोई तर्क नहीं है। और कुल मिलाकर, मान्यवर, मैं यह कह सकता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेंच देने के लिये किसी अक्लमंद आदमी के पास कोई लाजिक नहीं है, कोई तर्क नहीं है। सिर्फ नियत का सवाल है। आपने इसके पहले कई सूबों में बेंच दिये, कोई कमीशन नहीं बिठाया गया है।

दीखता यह है कि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक तौर पर उत्तर प्रदेश इकटठा आपको सूट करता है आप यह जानते है कि 1857 में जो हम लोगों ने, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों ने गदर में हिस्सा लिया, उससे आज तक हम लोगों को सजा मिल रही है और मान्यवर, मैं आपके जरिए सरकार को चेतावनी देना चहता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों में यह भावना घर करती जा रही है कि बेंच की बात को छोड़ा जाए अब पूरे बंटबारे की मांग करनी पड़ेगी।

इलाहाबाद जाइये, लखनऊ जाइये, जाते-जाते मौसम बदल जाता है तापमन बदल जाता है, संस्कृति बदल जाती है, बोलचाल बदल जाती है, लिबास बदल जाता है। इलहाबाद और लखनऊ का रिक्शा वाला जब हमको देखता है तो जिस जगह पर वहां वहां के लोगों से अठन्नी लेता है, तो हमसे दो रुपये मांगता है। वकील हमसे ज्यादा मेहनताना मांगता है।

सरकारी दफ्तरों मे हमारे डायलैट हमारी भाषा को समझने वाला कोई नहीं। यह फीलिंग आहिस्ता आहिस्ता तेज हो

रही है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश जिसको यह फक्र है कि पूरे देश की तरह यह सूबा चलता है और जिस सूबे में मुमकिन हुआ कि बंगाल कि सुचेता कृपलानी चीफ मिनिस्टर बनीं, उस सूबे को बर्बाद होने से बचाने का एक ही रास्ता है कि उस सूबे मे जो इस तरह की भावना घर कर रही है, उसका रास्ता यह है कि आप जल्दी जो एक बिल्कुल जायज मांग है, उसको बिना कमीशन बिठाये मानते, तो बेहतर था। कमीशन की जो चाहे फाइंडिंग्स हों, आपको उसको मान लेना चाहिए।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रशासनिक कामों की ज्यादती कि जिक्र करते हुए मुझको एक डर सिर्फ यह लगता है कि जो इलाहाबाद के वकील हैं वे, बहुत वा असर लोग हैं। अगर मैं गलत हूं तो मैं चाहूंगा कि मुझको मंत्री महोदय सही कर दें। वे लोग जब प्रधान-मंत्री जी से मिलने आये और उनसे मिल करके वापिस गये, तो वे लोग संतुष्ट लगते थे। ऐसा उनके प्रतिनिधि मंडल ने प्रेस को कहा था। मेरी यह जानकारी है और अगर यह बात है, तो यह खतरनाक बात है।

मैं मंत्री जी से सिर्फ एक सवाल करना चाहूंगा कि अगर यह कमीशन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेंच की स्थापना की राय देगा, तो क्या यह आपके ऊपर बाइंडिंग होगा, आप इसको मानेंगे, या नहीं? यह तो मेरा प्रश्न है?

मेरा सुझाव यह है कि जब तक कमीशन कोई रिपोर्ट दे उत्तर प्रदेश को बचाने के लिये यह जरूरी है कि आप इन लोगों की मांग माने। मैं और मेरी पार्टी उत्तर प्रदेश के बंटवारे के हामी हैं, लेकिन मैं उस बात को इस वक्त नहीं उठा रहा। इस वक्त आपके हाथ में है कि आप कमीशन की बात को एक तरफ करके जल्दी से जल्दी इस मांग को माने, ताकि लोगों को दरवाजे पर न्याय मिल सके, अच्छा न्याय मिल सके ताकि उनकी यह शिकायत खत्म हो।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI MADAN BHATIA (Nominated): Mr. Deputy Chairman, Sir, I only wish to strike an anticipatory note of caution for consideration by the hon. Minister. We have entered a new phase in the judicial history of India, the phase of public interest litigation. In this particular phase, the law has started developing too fast and one hon. Judge of the Supreme Court said that we are facing an accelerating process of development of law. For the purpose of the present discussion and the note that I wish to strike, I refer to two particular steps which the Supreme Court has taken in the development of law in the last one year. In 1981, some people went to the Supreme Court with the claim that right to fair justice is a part of their fundamental right and, therefore, they have a right to file a writ petition challenging various appointments of the High Court judges. This writ petition was entertained by the Supreme Court, although on facts, it was dismissed.

The next step has been taken only last month when another pesson has gone to the Supreme Court with the claim that right to speedy justice is also a part of his fundamental right and, therefore, the alleged delay in the appointment of the High Court judges should be looked into by the Supreme Court. The Supreme Court has entertained that petition and as we read from the newspapers, there are directions to the Government that it should come forward with various details regarding the pending appointments.

So my feeling is that some enterprising lawyer or litigant may take the third step and invoke the jurisdiction of the Supreme

[Shri Madan Bhatia]

Court by saying that easy access to justice is also a part of his fundamental right and if he goes to the Supreme Court by invoking this right, namely, easy access to justice being a part of his fundamental right, then I am afraid, the hon. Minister will have to deal with this question on Constitutional level in the Supreme Court. This fact, I respectfully submit, should be kept in mind by the hon. Minister.

I would only like to say that this is not a problem which has faced only India. This is a problem which has arisen even in the United States of America, and it has faced even the Great Britain. With regard to America, I would like to read the opinion expressed by a famous jurist, Louis Mayers in the book, American Legal System, and he says:

> "In the organisation of appellate courts, two distinct objectives are present, the demands of which are not easy to reconcile. It should be possible to subject the determination reached in a court of original jurisdication to speedy and inexpensive justice a desideratum which calls for appellate courts at convenient places and in a number sufficient promptly and finally to dispose of appeals presented to them. On the other hand, since it is only in appellate proceedings that the rules of law are authoritatively laid down and statutes authoritatively construed, it is desirable that there be only a single appellate court in each legal system, whether federal or State to make such authoritative pronouncements."

In the Great Britain also, as I understand—the hon. Minister can correct me by checking if I am wrong—Royal Commission was appointed and gave a report 1966—1969 in which the Royal Commission dealt with the question of the appellate courts holding its sittings at places other than London. Now, in the latest judgment, the judgment has not come I think; the hon. Minister may also consider whether there is a possibility of solution in the distinction which the Supreme Court has made between the permanent bench of the Supreme Court and the sittings of the various divisions of the High Courts at different places. This distinction has been made by the Supreme Court in the Aurangabad Case although the final judgment has not come; but the operative part of the judgment has been announced and while making this distinction, the Supreme Court has said that it is the inherent power of the Chief Justice to decide where the division of the High Court will sit for convenient disposal of the cases.

श्री जगन्नाथ कौशल : जिन माननीय सदस्यों ने इस डिसकशन में भाग लिया है मैं उन का आभारी हूं। उन्होंने कई जरूरी बातों की तरफ ध्यान दिलाया है, लेकिन कई बाते ऐसी है जिन का ताल्लुक दरअसल इस डिसकशन से नहीं है। जैसे झा साहब ने मोबाइल कोट्स और पंचायत कोट्स का जिक्र किया। तो मैं समझता हूं कि यह कमीशन तो सिर्फ इस लिये बैठा है कि आया हाई कोर्ट की कुछ बेंचे वहां वेस्टर्न यू० पी० में होनी चाहिये या नहीं होनी चाहिये और अगर होनी चाहिये तो कहां होनी चाहिये। तो पंचायत कोट्स या मोबाइल कोट्स के मामले कई बार झा साहब ने उठाये है और वह लगातार उठाते रहे हैं। उन को हम किसी और प्रापर आकेजन पर डिस्कस करेंगे।

एक सवाल और है जिस के वह बहुत दिलदादा है और वह यह है कि एलेक्टेड जजेज होने चाहियें और उस पर भी किसी वक्त डिबेट होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि हम को कोशिश करनी चाहिये कि जो सवाल इस वक्त हमारे सामने है हम उसी पर रहे। हाफ ऐन आवर डिस्कशन सिर्फ इस लिये हो रहा है कि जसवंत सिंह कमीशन देर क्यों कर रहा है। बाकी दूसरे सवाल जो दूसरे काबिल दोस्तों ने उठाए है कि हम चन्दा इकट्ठा करें के भी अदालतों को बना

देंगे, कमीशन बैठाना ही नहीं चाहिये (व्यवधान)

श्री शिव चन्द्र झा : मेरा प्वाइंट ग्राफ ग्रार्डर है। इस का इंटरप्रेटेशन ग्राना चाहिये। ग्राप को इस बारे में एक डायेनेमिक व्यू लेना होगा। एक सवाल रखा गया, छोड़ा गया, ग्रौर उस के डिस्कशन में बहुत से दर्शन सामने ग्राते हैं तो हम को उन सब पर विचार करना चाहिए।

श्री उपसभापति : वह कह तो रहे हैं कि जब ग्रवसर होगा तो उन पर भी विचार करेंगे।

श्री जगन्नाथ कौशल : एक काबिल दोस्त ने पूछा है कि जो कमीशन की राय ग्रायेगी क्या वह हम पर बाईडिंग होगी। तो मै एक ही बात कहना चाहता हूं कि किसी कमीशन की रिपोर्ट गवर्नमेंट पर कभी बाइडिंग नहीं होती। कमीशन की रिपोर्ट को एक्जामिन किया जायेगा ग्रौर कमीशन की रिपोर्ट की कद्र की जायेगी। उसकी रेसपेक्ट की जायगी ग्रौर उसके बाद निर्णय लिया जायेगा। बाकी भाटिया साहब ने तो बहुत फंडामेंटल सवाल उठायें है। वह सवाल है कि कोर्ट्स का डिवीजन का क्या मतलब है, ग्रमरीका में क्या महसूस हो रहा है, इंग्लैण्ड में क्या महसूस हो रहा है, तो इन सब के मुताल्लिक मैं उन का ग्राभार मानता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि उसके मुताल्लिक भी मुझे सरेदस्त कुछ कहना नहीं है क्योंकि उसका ताल्लुक भी जो मसला हमारे सामने है उससे नहीं है। मसला सिर्फ इतना है कि जसवंत सिंह कमीशन की रिपोर्ट जल्द ग्राना चाहिए।

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Reported recent incidents of firing and Lathi Charge on Santhals in Bihar resulting in death of some tribals and Adivasis—Contd.

श्री ग्रश्विनी कुमार : (बिहार) : माननीय उपसभापति महोदय, संथाल परगने के ग्रंदर पालाजोरी इलाके में 7 तारीख को जो दुर्घटना हुई उस के ऊपर ग्राज सदन में चर्चा हो रही है। मंत्री महोदय ने ग्रपना वक्तव्य दिया है। उस में बहुत सी बातें ऐसी है जो कि वहां पर गये हुए लोगों की ग्रांखों देखे वर्णन से बहुत भिन्न हैं। परन्तु ग्राज मैं इतना ही कहना चाहता हूं केन्द्रीय सरकार को कि बिहार के ग्रंदर एक ग्रोर ग्राज ग्रकाल है ग्रौर दूसरी ग्रोर बाढ है। स्थिति भयानक है। 14 जिले करीब सुखाड़ से प्रभावित हैं ग्रौर 19 जिलों में बाढ है। हमारे मित्र उस तरफ से कह रहे थे कि 1967 ग्रौर 71 में सुखाड़ हुग्रा था। जहां तक मेरा ग्रनुभव है 1967 का सुखाड़ सब से बड़ा था, लेकिन यह सुखाड़ उस से बड़ा होने जा रहा है। यह इतना बड़ा ड्राउट होगा कि ग्रगर ग्रभी से ग्राप ने उस ग्रोर ध्यान नहीं दिया तो यह पालाजोरी की एक घटना हुई है, इस प्रकार की घटनायें सरकार को हर ब्लाक में करने की ग्रावश्यकता ग्रा सकती है कि लोग रोटी मागने ग्रायें ग्रौर सरकार उनको गोलियां दें। सरकार के खुद के ग्रांकडे है, बिहार सरकार के, कि 587 ब्लाक्स में से 200 ब्लाक, प्रखंड ऐसे है जहां लगभग 80 प्रतिशत ग्राबादी रहती है। वहां की फसल लगभग नष्ट हो गई है। कभी वह 20 प्रतिशत कहते है, कभी 25 प्रतिशत कहते है कि फसल बची है। लेकिन 70–80 प्रतिशत फसल नष्ट हो गई है। किन्तु ग्राज भी बिहार सरकार उस ग्रोर ध्यान देने में